

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 228/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

भू-दान यज्ञ बोर्ड गैर खातेदार उपकृषक छीतर पिता छोटू माली निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. मु० नोरती पुत्री तेजु माली निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां
2. बन्ना पिता भैरू भील निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां
3. ओमप्रकाश पिता भूरा ब्राम्हण निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां
4. गोपीलाल पिता जाट निवासी खेड़ा पालोला तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 17.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 177 के आराजी नम्बर 526 रकबा 1.26 है० आराजी कुल किता 01 रकबा 1.26 है० का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया चौहान संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया



जाकर मौजा अरनिया चौहान मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 1.26 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 250/- रूपये (अक्षरे दो सौ/पचास रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालन रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा
फूलियाकलां

शेज-३५१५